न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7057–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 77/बी–103/14–15.

1– शाखा प्रबंधक,
कार्पोरेशन बैंक शाखा पिपरिया
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

2– रामेश्वर सिंह आत्मज प्रताप सिंह
निवासी ग्राम पनारी
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन कलेक्टर आफ स्टाम्प
जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री सुनील पाण्डे, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/बी–10/2013–14 में दिनांक 24–6–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन दस्तावेज पर 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क के मान से कुल रूपये 38,800/– शुल्क देय होना मान्य किया गया । साथ ही अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत 1,200/– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । इस प्रकार कमी मुद्रांक शुल्क

38,800/– रूपये एवं अर्थदण्ड रूपये 1,200/– कुल रूपये 40,000/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–3–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाकर दिनांक 4–5–2016 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 38,800/– रूपये एवं अर्थदण्ड रूपये 1,200/– कुल रूपये 40,000/– 30 दिवस में जमा किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–3–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश दिनांक 26–4–2014 निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, किन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा न तो दस्तावेजों की विवेचना की गई, और इस न्यायालय के आदेश का पालन किये बिना ही पुनः पूर्ववर्ती आदेश ही स्थिर रखा गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की दोनों कृषि भूमियों को बंधक रखकर एक ही ऋण आवेदक क्रमांक 1 से रूपये 9,70,000/– स्वीकृत कराया था, जो कि रूपये 10,00,000/– से कम है, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क से मुक्त है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा इस न्यायालय के पूर्व आदेश के प्रकाश में प्रकरण का बिना परीक्षण किये अपने ही पूर्व आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स का आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में बैंक द्वारा दो पृथक–पृथक ऋण दिये गये हैं,

अथवा एक ही ऋण दिया गया है, इसकी अण्डरटेकिंग बैंक के जिम्मेदार व अधिकृत अधिकारी से लेकर प्रकरण का निराकरण करने पर विचार करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2016 निरस्त किया जाकर, प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर